WESTERN RAILWAY

P.S.No. 85/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E(P&A)773/0 Vol.VII

Date: 17.10.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZG-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- ZG-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Clarification regarding fixation of pay under rule 13 on functional promotions in various situations where feeder and promotional posts have been placed in the same Pay Band and Grade Pay and where merger is not feasible.

==========

A copy of Board's letter No.PC VI/2011/IC/1 (S.No.PC-VI/317) dated 12.09.2013 (R.B.E.No.95/2013) is reproduced below for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

17/10/13

(Smruti Jacob)
APO(B&A)
For General Manager (E)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

RBE No. 95/2013

S.No. PC-VI/317

No. PC VI/2011/IC/1

New Delhi, dated 12.09.2013

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- Clarification regarding fixation of pay under rule 13 on functional promotions in various situations where feeder and promotional posts have been placed in the same Pay Band and Grade Pay and where merger is not feasible.

Both the Federations i.e. AIRF and NFIR have taken up the issue in various fora regarding admissibility of notional increment as per Rule 13 (i) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 in the situations of promotions in identical revised pay structure (viz. same Grade Pay and Pay Band) consequent upon implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission.

2. Prior to notification of RS (RP) Rules, 2008 (effective from 1.1.2006), fixation of pay in the cases of promotion etc. was governed by the provisions of Railway Fundamental Rules as contained in Indian Railway Establishment Code Vol. II viz. Rule 1313 (FR22)(I)(a)(1) read with sub Rule (III) thereof. Consequent upon deliberations with recognized staff Federations at different fora and consultation with Ministry of Finance / DOPT, fixation of pay under Rule 1313 (FR22)(I)(a)(1)R-II was extended in certain situations of promotion from one post to another in identical pay scale as an exception to general rules.

3 Fixation of pay on promotion in revised pay structure on or after 1.1.2006 is governed by Rule 13 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. As a consequence of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission, various pre-revised scales have been merged and got replaced by same revised pay structure (same Pay Band and Grade Pay) leading to merger of corresponding posts as indicated in the footnotes of Board's letter No. PC VI/I/RSRP/1 dt.11.9.2008 (as further supplemented/modified from time to time). However, there are certain specific situations on the Railways wherein it has not been feasible to merge the feeder and promotional posts placed in same revised pay structure (same Pay Band and Grade Pay) and such categories continue to be operated as separate categories. Further, these posts are part of normal promotional hierarchy of the employee (i.e other than the situations arising due to movement of the employee to another cadre in same revised pay structure through option), movement involves assumption of duties and responsibilities of greater importance and benefit of promotional increment was available even prior to implementation of revised pay structure vide RS(RP) Rules, 2008.

4. Various situations of the nature as above have been under examination in consultation with Ministry of Finance and Department of Personnel and Training and accordingly President is pleased to decide that the benefit of promotional pay fixation as per the provisions of Rule 13(i) of RS(RP) Rules, 2008 may be extended in the following situations of promotion from one post to another in same revised pay structure effective from 1.1.2006 onwards :

S.No.	Feeder Category	Promotional category	Revised Pay structure (Pay Band /Grade Pay)
1.	Chief Matron	Assistant Nursing Officer	PB3 GP Rs.5400
2.	Sr. Technician	Jr. Engineer	PB2 GP Rs.4200
3	(i) Loco Pilots(Goods) (ii)Loco Pilots(Passenger) (iii) Passenger Guard	(i) Loco Pilots(Passenger) (ii)Loco Pilots(Mail /Express) (iii) Mail/Express Guard	PB-2 GP Rs. 4200 PB-2 GP Rs. 4200 PB-2 GP Rs. 4200
4.*	Sr.P.W. Supervisor	Jr. Engineer	PB2 GP Rs.4200

* All regular posts of Sr. Permanent Way Supervisors in PB-2, Grade pay Rs. 4200 stand merged w.e.f. 03.07.2013 with the cadre of Junion Engineer(P.Way) in terms of Board's letter No. PC-III/2012/FE-II/2 dated 03/07/2013.

4.1 The staff affected by the decision as above may submit the option, within a period of three months from the date of issue of these orders, to have their pay re-fixed from the date of promotion as above or from the date of next increment in the feeder category, as per the methodology illustrated vide clarification 2 contained in Board's letter No. PC VI/2008/I/RSRP/1 dt. 25.9.2008(S.No. PC VI/22; RBE No. 132/2008).

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version will follow.

(M.K.Panda)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board.

No. PC VI/2011/IC/1

New Delhi, dated 12 .09.2013

Copy (with 40 spares)) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railway), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 95 /2013

क्र.सं. पीसी-VI/317

सं.पीसी-VI/2011/आई सी/1

नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2013

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ,
(डाक सूची के अनुसार).

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008- एक ही पे बैन्ड एवं ग्रेड पे में रखे फीडर और पदोन्नति पदों, जहाँ मर्जर व्यावहारिक नहीं है, में कार्यात्मक पदोन्नति की विभिन्न स्थितियों में नियम 13 के तहत वेतन-निर्धारण के बारे में स्पष्टीकरण ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप समरूपी संशोधित वेतन संरचना (अर्थात समान ग्रेड पे तथा पे बैंड) में पदोन्नति की स्थिति में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13(i) के अनुसार नोशनल वेतनवृद्धि की स्वीकार्यता के मुद्दे को दोनों फेडरेशनों- ए आई आर एफ और एन एफ आई आर ने विभिन्न मंचो पर उठाया है ।

2. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 (1.1.2006 से प्रभावी) की अधिसूचना से पूर्व, पदोन्नतियों आदि के मामलों में वेतन का निर्धारण भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II में यथा अन्तर्विष्ट रेलों के मूलभूत नियमों के प्रावधानों अर्थात उसके उप नियम (III) के साथ पठित नियम 1313(एफआर22)(I)(ए)(1) के अनुसार शासित होता था। विभिन्न मंचों में मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श करने और वित्त मंत्रालय/डीओपीटी के साथ परामर्श करने के परिणामस्वरूप सामान्य नियमों के अपवाद के रूप में समरूपी वेतनमानों में एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति की कतिपय स्थितियों में वेतन का निर्धारण नियम 1313(एफआर22)(I)(ए)(1) आर-II के अंतर्गत प्रदान किया गया था।

3. 1.1.2006 को अथवा उसके बाद संशोधित वेतन संरचना में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 द्वारा शासित होता है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप संशोधन-पूर्व के विभिन्न वेतनमानों

....2/-

को मर्ज कर दिया गया है और उन्हें अब समान संशोधित वेतन संरचना (समान पे बैंड/ ग्रेड पे) में रखा गया है तथा परिणामत: तदनुरूपी पदों का बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसीVI/2008/आई/आरएसआरपी/1 (आगे समय-समय पर यथा सम्पूरित / संशोधित) के फुटनोटों में दर्शाए गए अनुसार मर्जर हो गया है। बहरहाल, रेलों में ऐसी कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं जिसमें समान संशोधित वेतन संरचना (समान पे बैंड/ग्रेड पे) में फीडर और पदोन्नति पदों को मर्ज करना व्यावहारिक नहीं है और ऐसी कोटियों को अलग कोटियों के रूप में ही परिचालित किया जाना जारी है। इसके अलावा, ये पद कर्मचारी की सामान्य पदोन्नति पदक्रम का भाग हैं (अर्थात विकल्प के माध्यम से समान संशोधित वेतन संरचना में अन्य संवर्ग में कर्मचारी के चले जाने के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों को छोड़कर), इस प्रकार के संचलन की स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों तथा दायित्वों को ग्रहण करना शामिल होता है, और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत संशोधित वेतन संरचना को लागू करने से पूर्व भी पदोन्नति होने पर वेतनवृद्धि का लाभ उपलब्ध था।

4. ऊपर दी गई विभिन्न स्वरूपों की स्थितियों की वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से जांच की गई है और तदनुसार राष्ट्रपति जी ने सहर्ष विनिश्चय किया है कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13(i) के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति वेतन निर्धारण का लाभ निम्नलिखित स्थितियों में 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति के मामलों में प्रदान किया जाए:

क्र.सं.	फीडर कोटि	पदोन्नति कोटि	संशोधित वेतन संरचना (पे बैंड/ग्रेड पे)
1.	मुख्य मैट्रन	सहायक नर्सिंग अधिकारी	पीबी3 ग्रेड पे 5400 रुपये
2.	वरिष्ठ तकनीशियन	जूनियर इंजीनियर	पीबी2 ग्रेड पे 4200 रुपये
3.	(i) लोको पाइलट (गुड्स)	(i) लोको पाइलट (पैसेंजर)	पीबी2 ग्रेड पे 4200 रुपये
	(ii) लोको पाइलट (पैसेंजर)	(ii) लोको पाइलट (मेल/एक्सप्रेस)	पीबी2 ग्रेड पे 4200 रुपये
	(iii) पैसेंजर गार्ड	(iii) मेल एक्सप्रेस गार्ड	पीबी2 ग्रेड पे 4200 रुपये
4.*	वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षक	जूनियर इंजीनियर	पीबी2 ग्रेड पे 4200 रुपये

* बोर्ड कार्यालय के 03.07.2013 के पत्र सं. पीसी III/2012/एफई II/2 के अनुसार वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों- पे बैण्ड-2, ग्रेड पे- 4200/- रुपये के सभी नियमित पद, जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) के संवर्ग के साथ 03.07.2013 से मर्ज हो गये हैं ।

.....3/-

4.1 उपर्युक्त निर्णय से प्रभावित कर्मचारी बोर्ड के दिनांक 25.09.2008 के पत्र सं. पीसीVI/2008/आई/आरएसआरपी/1 (क्र.सं. पीसी VI/22; आरबीई सं. 132/2008) में अन्तर्विष्ट स्पष्टीकरण 2 के तहत उल्लिखित पद्धति के अनुसार, उपर्युक्त पदोन्नति की तारीख से अथवा फीडर कोटि में अगली वेतनवृद्धि की तारीख से अपने वेतन का पुन: निर्धारण करने के लिए इन आदेशों के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एम. के. पण्डा)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड.

सं.पीसी-VI/2011/आई सी/1 नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2013

प्रतिलिपि एडीएआई(रेलें), नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अग्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे.